जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतु निर्देश दिए गए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बडौदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। अतः पट्टा प्रदाय करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। काजी खान की मस्जिद जावरा रोड निवासी नाजमीन पति मो. अय्युब ने बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रार्थिया की भूमि की नपती करवाई जाकर अतिक्रमित कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, साथ ही अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।

जनसुनवाई में ग्राम भाटी बडौदिया निवासी बाबूलाल राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी प्रकाश पुरी पिता जुझार पुरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी ग्राम धामनोद में ट्रक लेबाय पर पंचर बनाने का व्यवसाय करना चाहता है। व्यवसाय हेतु पंचर बनाने का सामान व कम्प्रेशर भी क्रय कर लिया गया है परन्तु उक्त ट्रक लेबाय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा धमकाते हुए कहा गया कि तू यहां व्यवसाय नहीं कर सकता। अगर तूने यहां व्यवसाय किया तो तुझे जान से मार देंगे। अगर व्यवसाय करना है तो 12 हजार रुपए सालाना किराया देना होगा। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अतः कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रार्थी को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

सुभाष नगर निवासी गनी शाह पिता यासीन शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज निर्माण में जिन लोगों के मकान अधिग्रहण किए गए थे, उन लोगों द्वारा पुनः शासकीय भूमि पर 2 से 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। अतः शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए जिससे विवाद की स्थिति निर्मित न हो सके। प्रकरण संबंधित विभाग को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

ग्राम बिबडौद निवासी श्रीमती आनन्दीबाई पति हेमराज पाटीदार ने बताया कि प्रार्थिया का एक भूखण्ड ग्राम बिबडौद में स्थित है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल रतलाम द्वारा ग्राम बिबडौद में रिंग रोड के समीप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कालोनी काटने के उद्देश्य से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर भी प्लाट काटने का प्रयास किया जा रहा है। ३५

राजएक्सप्रेस 9/3/22

महालक्ष्मी मंदिर के आगे बनेगी पेड पार्किंग

नई व्यवस्था ● सूची बनाकर शहर के सब्जी विक्रेताओं को चिह्नित स्थानों पर देंगे दुकानों के लिए जगह

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने व सड़क पर सब्जी बेचने वालों को स्थान देने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बाहर खाली सड़क को पेड पार्किंग के रूप में उपयोग में किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में अलग-अलग स्थानों पर सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचने वालों को भी चि-ित स्थानों पर जगह दी जाएगी। इसके लिए सब्जी विक्रताओं की सूची भी क्षेत्रवार तैयार की जा रही है।

मालूम हो कि 11 फरवरी को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एसपी अभिषेक तिवारी के साथ दौरा कर चांदनीचौक स्थित आजाद चौक में पेड पार्किंग व सुविधाघर बनाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 19 नवंबर 2021 को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थल चयन कर वहां बुनियादी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे। अब महालक्ष्मी मंदिर के बाहर की सड़क पर अभी फल विक्रेता फेरी लगाते हैं वहीं बाजार में आने वाले ग्राहकों आदि के वाहन खड़े रहते हैं। निगम यहां पार्किंग का ठेका देकर राजस्व जुटाएगा।

महालक्ष्मी मंदिर के आगे की सड़क को पेड पार्किंग बनाया जाएगा। ● नईदुनिया

> शहर में सब्जी विक्रेताओं को चयनित स्थानों पर जगह दी जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर पेड पार्किंग की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
>
> -सोमनाथ झारिया, निगमायुक्त

सब्जी विक्रेताओं को इन स्थानों पर दी जाएगी जगह

- त्रिपोलिया गेट, चांदनीचौक, चौमुखीपुल, घास बाजार व माणकचौक क्षेत्र की सब्जी दुकानों को त्रिवेणी मेला ग्राउंड, स्थानांतरित किया जाएगा।
- तोपखाना, हाट की चौकी, हरदेव लाला पिपली, नीमचौक, लोहार रोड, शहर सराय, सागोद रोड बाजना बस स्टैंड क्षेत्र की सब्जी दुकानों को जैन स्कूल के पीछे बोहरा कब्रिस्तान के सामने एवं अमृतसागर तालाब की पाल के पास जगह दी जाएगी।
- टीआइटी रोड, रोटरी क्लब के पास, कांवेंट तिराहा से फव्वारा चौक तक, डाट की पुलिया व पैलेस रोड क्षेत्र की सब्जी दुकानों को पंजाबी धर्मशाला के पास स्थान दिया जाएगा।
- राममंदिर चौराहा, कस्तूरबा नगर, जवाहर नगर व सैलाना जाने वाले मुख्य मार्ग की सब्जी दुकानों को बाल सम्प्रेक्षण गृह के सामने बिरियाखेड़ी व जवाहर नगर मुक्तिधाम के सामने और जवाहर नगर बी कालोनी रोड के सामने वाले मैदान में स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।
- सैलाना बस स्टैंड स्थित शासकीय सब्जी मंडी भवन का एक हिस्सा जर्जर हो चुका है। इस हिस्से को दो-तीन मंजिला रिटेल सब्जी मंडी के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव है। इस पर भी कार्ययोजना बनाई जाएगी।

इन बाजारों में पार्किंग की परेशानी
चांदनीचौक, खेरादीवास, दौलतगंज, बजाजखाना, माणकचौक, नीलाईपुरा, धनजी भाई का नोहरा, घास बाजार, पोरवाड़ों का वास, चौमुखीपुल, कसारा बाजार, धानमंडी आदि।

नईदुनिया / 9/3/22

लोक अदालत 12 को, मिलेगी ब्याज में छूट

रतलाम | लोक अदालत 12 मार्च को लगेगी। बिजली कंपनी ने शासन की ओर से विद्युत चोरी के प्रकरण में विशेष छूट की घोषणा की है। उक्त छूट सिर्फ लोक अदालत तक ही सीमित रहेगी। विशेष न्यायालय के समस्त लंबित प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 20 फीसदी एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। इसी प्रकार से प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि में 30 फीसदी एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। उपभोक्ता को अपनी राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा। विभाग ने न्यायालय में लंबित कुल 1186 प्रकरणों में तथा प्री-लिटिगेशन के कुल 1548 प्रकरणों के उपभोक्ताओं को न्यायालय के माध्यम से सूचना पत्र जारी कराए हैं। यदि किसी कारण उनको नोटिस नहीं मिला है तो संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

दै. भास्कर 9/3/22

बिना अनुमति के पोस्टर, होर्डिंग लगाने वालों पर होगी एफआइआर

रतलाम। शहर की सड़कों पर लगे विद्युत पोल, शासकीय भवन, दीवारों, सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाने वालो पर नगर निगम एफआइआर दर्ज करवाएगा।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया। इसमे यह पाया गया कि शहर में विभिन्न संस्थानों के पोस्टर अवैध रूप कई स्थानों पर लगे पाए गए। अब संबंधितों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। नई.

नईदुनिया 9/3/22

जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतुं संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बडौदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। अतः पट्टा प्रदाय करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। काजी खान की मस्जिद जावरा रोड निवासी नाजमीन पति मो. अय्युब ने बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रार्थिया की भूमि की नपती करवाई जाकर अतिक्रमित कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, साथ ही अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।

जनसुनवाई में ग्राम भाटीबडौदिया निवासी बाबूलाल राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है।

5ब्बी

दबंग दुनीया 9/3/22

निर्माण का मलबा रोड पर पड़ा था

पूर्व मंत्री के भाई की दुकान से वापस लौटा निगम का दल

पत्रिका सिटी हैपनिंग

रतलाम. शहर में नगर निगम रोड पर पड़े मलबे को जब्त करने का अभियान चलाए हुए है, लेकिन इसमे आम व खास व्यक्ति में भेद किया जा रहा है। मंगलवार को नगर निगम के उपयंत्री मनीष तिवारी पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के करीबी रिश्तेदार ललीत कोठारी की महू रोड स्थित दुकान पर नोटिस लेकर पहुंचे व मलबा जब्त करने लगे। इस दौरान देर तक बहस हुई व बाद में प्रशासकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद वापस लौट गए। इस दौरान पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी भी पहुंच गए थे व उन्होंने कलेक्टर से भी बात की। प्रत्यक्षदर्शियो के अनुसार इस दौरान तिवारी व ललीत कोठारी के बीच गर्मागर्म बहस हुई।

शाम करीब 6 बजे बाद निगम के उपयंत्री तिवारी महू रोड स्थित ललीत कोठारी की दुकान पर पहुंचे। यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मलबा दुकान के बाहर पड़ा हुआ है। उपयंत्री तिवारी का कहना था कि मलबा रोड पर होना गलत है। जबकि ललीत कोठारी का कहना था कि मलबा टैक्स दिया है तो मलबा रोड पर नहीं तो क्या घर में रहेगा। इस बीच दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई व आसपास के दुकानदार भी आ गए। इस बीच किसी ने पूर्व मंत्री कोठारी को सूचना दे दी। इसके बाद कोठारी ने कलेक्टर को फोन लगाकर पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद उपयंत्री तिवारी के पास निगम आयुक्त का फोन आया व तिवारी ने जब्त किया हुआ मलबा खाली करवाया व जो नोटिस का दस्तावेज दिया वो वापस लिया।

शहर में निगम के कर्मचारी गलत व्यवहार कर रहे है। उनके बोलने का तरीका ही गलत है। जब वे टैक्स देने कारोबारी के साथ इस प्रकार व्यवहार कर सकते है तो समाज के कमजोर व्यक्ति के साथ उनके व्यवहार को समझा जा सकता है।

- ललीत कोठारी, कारोबारी

उपयंत्री किसी गलतफहमी के चलते गए थे, सूचना मिलने के बाद वापस बुलवा लिया गया।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका

पत्रिका 9/3/22

जनसुनवाई में पीड़ित ने लगाई गुहार

गृह निर्माण मंडल ने निजी भूमि पर काटी कालोनी

54 आवेदनों में सबसे अधिक भूमि व मकान संबंधित आवेदन आए

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित अधिकारियों ने 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए।

ग्राम बिबड़ौद निवासी आनन्दीबाई पति हेमराज पाटीदार ने बताया कि प्रार्थिया का एक भूखण्ड ग्राम बिबड़ौद में स्थित है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल रतलाम द्वारा ग्राम बिबड़ौद में रिंग रोड के समीप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कालोनी काटने के उद्देश्य से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर भी प्लाट काटने का प्रयास किया जा रहा है। अतः म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को प्रार्थिया की भूमि पर से प्लाट काटने से रोका जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

ग्राम भाटीबड़ौदिया निवासी बाबूलाल राठौड़ ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बड़ौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है, वह भी जर्जर अवस्था में है, जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है।

पुनः किया अतिक्रमण

सुभाष नगर निवासी गनी शाह पिता यासीन शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि सुभाष नगर ओव्हरब्रिज निर्माण में जिन लोगों के मकान अधिग्रहण किए गए थे, उन लोगों द्वारा पुनः शासकीय भूमि पर 2 से 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। अतः शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित न हो सके। प्रकरण संबंधित विभाग को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

20 वर्षों से निवासरत, लेकिन पट्टा नहीं मिला

शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बड़ौदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है, उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। अतः पट्टा प्रदाय करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। काजी खान की मस्जिद जावरा रोड निवासी नाजमीन पति मो. अय्यूब ने बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रार्थिया की भूमि की नपती कराई जाकर अतिक्रमित कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, साथ ही अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त कराया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।

स्वदेश

स्वदेश 9/3/22

दीनदयाल रसोई ने एक करोड़ लोगों को कराया भोजन

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत एक साल में सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को भोजन कराया है। योजना का दूसरा चरण 26 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 12 अप्रैल से 27 जून 2021 तक लाकडाउन में 27 लाख 19 हजार जरूरतमंदों को रसोई केंद्रों से भोजन कराया गया है। इन केंद्रों से लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना का दूसरा चरण शुरू किया था। इसके तहत प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों एवं छह धार्मिक नगरीय निकाय मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में सौ रसोई केंद्रों का संचालन शुरू किया है। रसोई केंद्र में जन सामान्य को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन के रूप में रोटी, मौसमी सब्जी, दाल एवं चावल उपलब्ध कराया जाता है। रसोई केंद्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दोपहर के भोजन की व्यवस्था 10 रुपये प्रति थाली की दर से है। उन्होंने बताया कि रसोई केंद्रों में उपयोग में आने वाले खाद्यान्न गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

नईदुनिया 9/3/22

जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम. एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एस डी एम राजेश शुक्ला द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बड़ोदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है, उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। अतः पट्टा प्रदाय करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। काजी खान की मस्जिद जावरा रोड़ निवासी नाजमीन पति मो. अय्युब ने बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

अतः प्रार्थिया की भूमि की नपती करवाई जाकर अतिक्रमित कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, साथ ही अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।

जनसुनवाई में ग्राम भाटीबडौदिया निवासी बाबूलाल राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में

है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी प्रकाश पुरी पिता जुझार पुरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी ग्राम धामनोद में ट्रक लेबाय पर पंचर बनाने का व्यवसाय करना चाहता है। व्यवसाय हेतु पंचर बनाने का सामान व कम्प्रेशर भी क्रय कर लिया गया है परन्तु उक्त ट्रक लेबाय पर कुछ व्यक्तियों
कहा गया कि तू यहां व्यवसाय नहीं
तूने यहां व्यवसाय किया तो तूझे
अगर व्यवसाय करना है तो 12 ह
किराया देना होगा। प्रार्थी गरीब व्यि
अपने परिवार का भरण पोषण
कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कार्र
को व्यवसाय करने की अनुमति प्र
करें। प्रकरण निराकरण के लिए स
भेजा गया है।

सुभाष नगर निवासी गनी
शाह ने जनसुनवाई के दौरान बत
ओव्हर ब्रिज निर्माण में जिन
अधिग्रहण किए गए थे, उन
शासकीय भूमि पर 2 से 3 फीट
लिया गया है जिससे आए दिन

प्रसारण

प्रसारण 9/3/22

लापरवाही • स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत आर्ट पेंटिंग कर सुंदर बनाई गई दीवारों को ही कर दिया गं

अब स्वच्छता के लिए सख्ती: बगैर अनुमति चिपका दि पोस्टर इसलिए 9 संस्थाओं पर की जाएगी एफआईआर

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर को साफ बनाकर स्वच्छता की दौड़ में सबसे ज्यादा अंक दिलाने के लिए नगर निगम लगातार सख्ती बरत रहा है। गंदगी और पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब बगैर अनुमति सरकारी कार्यालय, बाउंड्रीवाल, बिजली के पोल समेत अन्य जगह पर पोस्टर चिपकाने और बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसके लिए मंगलवार को आयुक्त सोमनाथ झारिया ने राजस्व अमले के साथ निरीक्षण किया। इसमें 9 संस्थाओं व प्रतिष्ठानों के पोस्टर, बैनर मिले। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

300 से ज्यादा छोटे-बड़े फ्लैक्स हटाए

पोस्टर चस्पाकर खत्म कर रहे सुंदरता।

सोमवार को निगम अमले ने न्यू कलेक्टोरेट से फव्वारा चौक, फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहा, कोर्ट तिराहे से दो बत्ती, दो बत्ती से सैलाना बस स्टैंड होकर बरबड़ तक सड़क के दोनों तरफ सफाई की। इसमें बिना अनुमति के लगे 300 से अधिक फ्लेक्स होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाकर जब्त किए।

इन संस्था संचालकों पर दर्ज होगा पुलिस प्रकरण

स्वस्तिक क्लासेस, उत्कर्ष एकेडमी, अभ्यास कैरियर इंस्टीट्यूट, प्रजापति कैरियर इंस्टीट्यूट, एलीवेसन एग्रीकल्चर एकेडमी, गौरी क्लीनिक फार्मेसी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुप्रीम मेडिकल एवं नर्सिंग एकेडमी।

फिर ड्यूटी पर नहीं मि 15 सफाई कर्मचारी

इधर पर्यवेक्षकों की चेकिंग में मंगलवार को भी 15 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। जिम्मेदार दरोगा के पास न तो उनकी कोई सूचना थी, न उन अवकाश की अनुमति ली गई रिपोर्ट मिलने पर आयुक्त सो झारिया ने सभी का एक दिन वेतन काटने के आदेश दे दि हैं। सभी सुबह की शिफ्ट के इनमें भी जोन एक के 8, जो के 5, जोन 4 की सुनीताबाई राजकपूर, रामू-जारू शामिल

दै. भास्कर 9/3/22

54 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए

खान की मस्जिद जावरा रोड़ निवासी ति मो. अय्युब ने बताया कि प्रार्थिया की के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले अवैध कब्जा कर लिया गया है।

: प्रार्थिया की भूमि की नपती करवाई जाकर त कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार भेजा गया है।

सुनवाई में ग्राम भाटीबडौदिया निवासी राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। स मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में

है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी प्रकाश पुरी पिता जुझार पुरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी ग्राम धामनोद में ट्रक लेबाय पर पंचर बनाने का व्यवसाय करना चाहता है। व्यवसाय हेतु पंचर बनाने का सामान व कम्प्रेशर भी क्रय कर लिया गया है परन्तु उक्त ट्रक लेब्राय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा धमकाते हुए कहा गया कि तू यहां व्यवसाय नहीं कर सकता। अगर तूने यहां व्यवसाय किया तो तुझे जान से मार देंगे। अगर व्यवसाय करना है तो 12 हजार रुपए सालाना किराया देना होगा। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अतः कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रार्थी को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

सुभाष नगर निवासी गनी शाह पिता यासीन शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज निर्माण में जिन लोगों के मकान अधिग्रहण किए गए थे, उन लोगों द्वारा पुनः शासकीय भूमि पर 2 से 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।

अतः शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए जिससे विवाद की स्थिति निर्मित न हो सके। प्रकरण संबंधित विभाग को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। ग्राम बिबडौद निवासी श्रीमती आनन्दीबाई पति हेमराज पाटीदार ने बताया कि प्रार्थिया का एक भूखण्ड ग्राम बिबडौद में स्थित है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल रतलाम द्वारा ग्राम बिबडौद में रिंग रोड के समीप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कालोनी काटने के उद्देश्य से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर भी प्लाट काटने का प्रयास किया जा रहा है। अतः म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को प्रार्थिया की भूमि पर से प्लाट काटने से रोका जाए। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

प्रसारण

प्रसारण 9/3/22

महिला दिवस पर नगर निगम ने किया सम्मान

रतलाम. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रतलाम नगर निगम द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। स्थानीय गुलाब चक्कर पर आयोजित कार्यक्रम में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने अपने विचार रखे। शहर को स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन पर लाने के लिए सभी नागरिकों से पुरजोर आग्रह किया। कार्यक्रम में सहायक संचालक महिला बाल विकास अंकिता पंड्या, निगम की ब्रांड एंबेसडर दिव्या पाटीदार, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सुभाष कुमावत, मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रमोद प्रजापति, निगम के उपायुक्त विकास सोलंकी तथा निगम के अन्य अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक एहतेशाम अंसारी द्वारा किया गया।

पत्रिका 9/3/22

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बडौदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। अतः पट्टा प्रदाय करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित विभाग को भेजा गया है। काजी खान की मस्जिद जावरा रोड निवासी नाजमीन

पति मो. अय्युब ने बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप लगी भूमि के मालिक द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर करीब तीन फीट का अतिक्रमण करते हुए दीवार बना ली गई है तथा आने-जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रार्थिया की भूमि की नपती करवाई जाकर अतिक्रमित कब्जा पुनः प्रार्थिया को दिलवाया जाए, साथ ही अतिक्रमण किए गए रास्ते को भी मुक्त करवाया जाए। प्रकरण निराकरण के लिए तहसीलदार ग्रामीण को भेजा गया है।जनसुनवाई में ग्राम भाटीबडौदिया निवासी बाबूलाल राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। अतः प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए। सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया है। ग्राम धामनोद निवासी प्रकाश पुरी पिता जुझार पुरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी ग्राम धामनोद में ट्रक लेबाय पर पंचर बनाने का व्यवसाय करना चाहता है। व्यवसाय हेतु पंचर बनाने का सामान व कम्प्रेशर भी क्रय कर लिया गया है परन्तु उक्त ट्रक लेबाय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा धमकाते हुए कहा गया कि तू यहां व्यवसाय नहीं कर सकता।

अगर तूने यहां व्यवसाय किया तो तुझे जान से मार देंगे। अगर व्यवसाय करना है तो 12 हजार रुपए सालाना किराया देना होगा। प्रार्थी गरीब व्यक्ति होकर जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अतः कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रार्थी को व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। प्रकरण निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। इन्दौर

इन्दौर समाचार 9/3/22

जनसुनवाई में आए 54 आवेदन, निराकरण के निर्देश

नवभारत

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला द्वारा 54 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शहर सराय रतलाम निवासी शमीम बी ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया का बडौदा में उपचार चल रहा है तथा प्रार्थिया विगत 20 वर्षों से जिस मकान में रह रही है उसका पट्टा भी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम भाटीबडौदिया निवासी बाबूलाल राठौड ने बताया कि प्रार्थी विगत कई वर्षों से ग्राम भाटी बडौदिया में निवासरत है तथा गरीबी रेखा के सर्वे क्रमांक 177 में भी प्रार्थी का नाम दर्ज है। प्रार्थी जिस मकान में रहता है वह भी जर्जर अवस्था में है जिससे जनहानि होने का अंदेशा बना रहता है। ग्राम धामनोद निवासी प्रकाश पुरी पिता जुझार पुरी ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी ग्राम धामनोद में ट्रक लेबाय पर पंचर बनाने का व्यवसाय करना चाहता है। व्यवसाय हेतु पंचर बनाने का सामान व कम्प्रेशर भी क्रय कर लिया गया है परन्तु उक्त ट्रक लेबाय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा धमकाते हुए कहा गया कि तू यहां व्यवसाय नहीं कर सकता। अगर तूने यहां व्यवसाय किया तो तुझे जान से मार देंगे। अगर व्यवसाय करना है तो 12 हजार रुपए सालाना किराया देना होगा। सुभाष नगर निवासी गनी शाह पिता यासीन शाह ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि सुभाष नगर ओवर ब्रिज निर्माण में जिन लोगों के मकान अधिग्रहण किए गए थे, उन लोगों द्वारा पुनः शासकीय भूमि पर 2 से 3 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। ग्राम बिबडौद निवासी आनन्दीबाई पति हेमराज पाटीदार ने बताया कि प्रार्थिया का एक भूखण्ड ग्राम बिबडौद में स्थित है। म.प्र. गृह निर्माण मण्डल रतलाम द्वारा ग्राम बिबडौद में रिंग रोड के समीप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कालोनी काटने के उद्देश्य से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रार्थिया की भूमि पर भी प्लाट काटने का प्रयास किया जा रहा है। अतः म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को प्रार्थिया की भूमि पर से प्लाट काटने से रोका जाए। सभी प्रकरणों का निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।

नवभारत 9/3/22